


फर्द अहकाम

श्री नारायण बनाम राजकाल
उपखण्ड अधिकारी जमशेदपुर

यालय

क्रा 311/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/9/24	<p>आपत्ति कुरैजात हेतु दिनांक 23/9/24 को फेर हो</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जमशेदपुर </p> <p>जजावली पर डूई। वकील के पास पत्र कंपनी जजावली आपत्ति कुरैजात के माइटर, प्रोविन्सियल वकील हेतु जजावली की मजदूरों को किल्ला गल्ल नवल वकील के पास पत्रों की वजह की प्रतन किल्ला गल्ल। मंत्र! जजावली से प्रस्तुत आपत्ति कुरैजात को खारिज किल्ला पाता है। वकील वादी को वाद अनंतरित धारा 53, 188 राजस्थान कार्यकारी आदेशों का मानिष्ठ रूप में स्वीकार किल्ला पाकर वाद को अंतराधिक कुरैजात के नकारात्मक हेतु निर्णय किल्ला पाता है। नवल अंतवारा किल्ला पाता है। नवल विस्तृत निर्णय प्रत्येक नि लिंक पाकर शामिल जिल्ला किल्ला गल्ल। निर्णय माफ पर उपलब्ध उपलब्ध गल्ल। जजावली को निल अंतराधिकार गल्ल। नवल को नवल वाद प्रामे प्राधिकार अंतराधिकार है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी

जमशेदपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री चिमनलाल मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 311/2019

श्रीनारायण

दायर दिनांक 13.11.2019

बनाम

रामकरण वगैराह

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश

दिनांक 13.02.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु बहाजिरी श्री चिमनलाल मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री किशनलाल व श्री राजेश कुमार पारिक व श्री महेश शर्मा निजातिब मुदालय रुबरु बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम डांगरवाडा खुर्द, पटवार मण्डल लांगडियावास तहसील जमवारामगढ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 83 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 1.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.6900 हैक्टेयर के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से तथा कब्जे काश्त को मध्य नजर हुए मुताबिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस-नरस के आधार पर विधिक रूप से तमासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में कुरैजात के प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदई	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर